न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—129 / 2025 / 223 आर.टी.एक्ट (2025 / 129)

1. श्रीमती अंजू मीणा पत्नि रोशनपाल मीणा, जाति मीणा, निवासी अलोली, तहसील सावर जिला अजमेर हाल ग्राम अरनिया, तहसील देवली जिला टोंक।
2. श्रीमती गायत्री पत्नि जसवंत मीणा जाति मीणा निवासी अलोली, तहसील सावर जिला अजमेर हाल ग्राम अंराई तहसील अंराई जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. सोदरा पुत्री मोडू पत्नि रामदेव मीणा जाति मीणा निवासी अलोली हाल निवासी नयागांव मालियों का मौहल्ला तहसील सावर जिला अजमेर।
2. रामदयाल पुत्र मोडू मीणा जाति मीणा निवासी आलोली तहसील सावर जिला अजमेर।
3. बाली पुत्री मोडू पत्नि कैलाशचंद जाति मीणा निवासी आलोली तहसील सावर जिला अजमेर।
4. मैनेजर आईसीआईसीआई शाखा केकडी।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, सावर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 03.01.2025 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सावर राजस्व वाद संख्या 456 / 2024 (2024 / 153)

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोडा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मंगलाराम चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री दीनदयाल स्वामी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 5
5. रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—19.09.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सावर अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 456 / 2024 (2024 / 153) में पारित निर्णय दिनांक 03.01.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सावर के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 / वादी द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 2 के विरूद्ध राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 89, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए प्रकरण का निस्तारण दिनांक 03.01.2025 को किया जाकर निर्णय व डिक्री पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सावर अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 456 / 2024 (2024 / 153) में पारित निर्णय दिनांक 03.01.2025 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना क रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सावर के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्ध राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी वाके ग्राम महरूकलां तहसील सावंर खसरा संख्या 167, 168, 169, 4097/167 कुल किता 4 कुल रकबा 5.03 हैक्टर आराजीयात वादीया/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की पुश्तैनी है मोडू पुत्र रामा की मृत्यु हो चुकी है एवं उक्त आराजीयात वादीया के पिता की पैत्रक सम्पत्ति है, जो कि मोडू की मृत्यु के पश्चात विरासत जरिये नामान्तरकरण संख्या 295 दिनांक 27.1.1983 से रेस्पोडेन्ट संख्या 2/प्रतिवादी के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई थी जबकि उक्त आराजी में 1/3 हिस्सा वादीया/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का है। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 3 जो कि वादीया की जाईन्दा बहन है, 1/3 हिस्से पर अधिकारिता रखती है। अतः वादग्रस्त आराजी पर खातेदार घोषित कर विधिवत विभाजन किया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जाना न्याय संगत है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादीया को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर बतौर जमाबंदी में खातेदार अंकन किया जावे। उपरोक्त प्रस्तुत वाद में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर एकमात्र वादीया/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के वादपत्र को स्वीकार करते हुए अपीलांट के पूर्वाधिकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम आराजीयात होना वर्णित करते हुए आक्षेपित निर्णय दिनांक 3.1.2025 से वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किए जाने के आदेश विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए है। यहां वर्णित करना उचित है अपीलांट जिनके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से उसकी निहित खातेदारी की आराजीयात को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25.2.2022 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है व उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 3591 दिनांक 29.12.2023 को अपीलांट्स के नाम स्वीकृत कर अपीलांट राजस्व अभिलेख में बहैसियत खातेदार दर्ज है। जिन्हें बिना पक्षकार सम्मिलित किए, बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 3.1.2025 को पारित किया गया है। वादीया/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद में बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की तामिली कराए एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 3.1.2025 को पारित किए गए है, वादीया/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में स्वयं वादीया/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. दिनांक 4.7.2022 को अपीलांट के पक्ष में पंजीकृत विकय पत्र निष्पादित किए जाने के उपरान्त वास्ते स्थगन जारी किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 4.7.2022 को राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बाबत पारित किए गए है व उक्त प्रस्तुत प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर एकपक्षीय जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 4.7.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश पारित किए गए है, जिससे स्पष्ट हे कि वादीया/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को प्रारम्भतः अपीलांट के पक्ष मे हुए पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 25.2.2022 की जानकारी रही है इसके बावजूद भी बिना अपीलांट को पक्षकार सम्मिलित किए बिना नोटिस जारी

किए एकपक्षीय निर्णय व डिकी दिनांक 3.1.2025 को जारी की गई है। जो कि प्रथम दृष्टया ही बिना व्यथित पक्षकार खातेदारान अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किए पारित किए जाने से निरस्त किए जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजीयात दिनांक 25.2.2022 को खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 रामदयाल पुत्र मोडू अपीलांट्स के पूर्वाधिकारी के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज रही है, जिनके द्वारा स्वंय की खातेदारी की आराजीयात बाबत पंजीकृत बयनामा अपीलांट्स के पक्ष में दिनांक 25.2.2022 को निष्पादित किया है एंव उक्त पंजीकृत बयनामे के आधार पर नामान्तरकरण अपीलांट्स के नाम स्वीकृत किया जाकर बहैसियत राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज किया है, जिन्हें बिना प्रकरण में पक्षकार सम्मिलित किए, बिना पक्षकार सम्मिलित किए एकपक्षीय रूप से प्रस्तुत वाद को राजस्व अभिलेख का अवलोकन किए बिना डिक्री किए जाने में त्रुटि कारित की गई है, प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 जिसमे अपीलांट्स बहैसियत खातेदार दर्ज है, स्वयं वादीया/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किए गए है, जिससे स्पष्ट है कि निर्णय व डिक्री दिनांक 3.1.2025 को पारित किए जाने के समय राजस्व अभिलेख में अपीलांट्स की खातेदारी होने बाबत पूर्णतया जानकारी वादीया/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रही है, उक्त संदर्भ में दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किए बिना, राजस्व अभिलेख जमाबंदी का अवलोकन किए बिना, बिना अपीलांट्स को पक्षकार सम्मिलित किए, बिना नोटिस जारी किए आक्षेपित निर्णय पारित किए जाने मे त्रुटि कारित की गई है। वादग्रस्त आराजीयात में वादीया/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पैत्रक सम्पत्ति होना वर्णित करते हुए व हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसरण में स्वंय का 1/3 हिस्सा होना अंकन करते हुए खातेदार घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया है किन्तु उक्त संदर्भ में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में किसी प्रकार की साक्ष्य पैत्रक सम्पत्ति बाबत प्रस्तुत नहीं की गई हैं वादग्रस्त आराजीयात जो कि मोडू पुत्र रामा की खातेदारी में दर्ज रही है व मोडू की मृत्यु के उपरान्त चूंकि मीणा जाति में लडकियों को अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः विधिवत रूप से मोडू के एकमात्र पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 रामदयाल के नाम विरासतन नामान्तरकरण संख्या 295 दिनांक 27.1.1983 को स्वीकृत किया गया है, उक्त संदर्भ में स्वंय को हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना वर्णित करते हुए राजस्व वाद विधि के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किया गया है जिस बाबत राजस्व अभिलेख में दर्ज अपीलांट्स खातेदारान को बिना पक्षकार सम्मिलित किए उनकी खातेदारी की आराजीयात बाबत 1/3 हिस्से का खातेदार वादीया/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को घोषित किए जाने में त्रुटि कारित की गई है। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सावर के समक्ष वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा बिना अपीलांट प्रभावित पक्षकारान को पक्षकार बनाए जहां प्रस्तुत वाद दिनांक 9.2.2024 को अदम हाजरी अदम पैरवी में निरस्त किया जा चुका था, पुनः उक्त वाद को रेस्टोर किए जाने हेतु आवेदन दिनांक 26.7.2024 को प्रस्तुत किया गया व उक्त वाद पत्र को एकपक्षीय रूप से दिनांक 27.9.2024 को रेस्टोर कर नियत कार्यवाही वास्ते जवाब प्रतिवादीगण हेतु पत्रावली नियत की गई है व इसके पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए वादीया/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की साक्ष्य ली जाकर आक्षेपित निर्णय दिनांक 3.1.2025 से वाद पत्र में वर्णित कथनों के अनुसरण में प्रस्तुत वाद को डिकी किए जाने के आदेश पारित किए गए है। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में न्यायालय द्वारा वाद दर्ज कर साधारण नोटिस जारी किए जाने के आदेश दिए गए है जिनकी तामिली रिपोर्ट हेतु पत्रावली जेरकार रही है उक्त प्रस्तुत वाद पत्र मे एकमात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 4 तहसीलदार द्वारा जवाब

प्रस्तुत नहीं होना वर्णित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 4 का जवाब बन्द किया जाकर एकपक्षीय कार्यवाही का अंकन करते हुए तनकियात निर्मित किए बगैर बिना साक्ष्यों को प्रदर्श मार्क किए दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों के अभाव में निर्णय व डिक्री दिनांक 3.1.2025 को पारित की गई है। जबकि वादी अथवा उसकी ओर से किसी प्रकार की कोई साक्ष्य वाद निस्तारण हेतु प्रदर्शित नहीं कराई गई व ना ही वादी साक्ष्य हेतु उपस्थित हुआ है। एकमात्र मौखिक कथनों के आधार पर दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किए बिना वादपत्र को डिक्री किए जाने में त्रुटि कारित की गई है। राजस्व अभिलेख नकल वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में दर्ज खातेदारान को पक्षकार निर्मित किए बिना पक्षकारान के दर्ज हिस्से के स्थान पर वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को खातेदार घोषित किए जाने हेतु अनुतोष वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा चाहा गया है। जिसमें विधिवत रूप से अपीलांट्स को पक्षकार निर्मित कर व अन्य रेस्पोडेन्ट की तामिली कराई जाकर तनकियात निर्मित की जाकर साक्ष्य ली जाकर वाद का निस्तारण किया जाना चाहिए। किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत वाद पत्र मे बिना खातेदारान को नोटिस जारी किए, बिना विधिवत रूप से तलबी कराए बिना तनकियात निर्मित किए, बिना खातेदारान की तामिल कराए खातेदारान के दर्ज हिस्से को वादी/ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम अंकन किए जाने के आदेश दिए गए है। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में तनकियात कायम किए बिना साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान किए पत्रावली में निर्णय वाद पत्र अनुसार पारित कर निर्णित किया गया है एवं बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए, बिना साक्ष्य लिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर वाद पत्र को डिक्री किए जाने के आदेश पारित किए गए है, जिसकी अनुपालना में राजस्व अभिलेख में अपीलांट्स जिनके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 खातेदार से जरिये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 25.2.2022 को वादग्रस्त आराजीयात को क्रय किया है व उक्त आधार पर अपीलांट्स के नाम नामान्तरकरण संख्या 3591 दिनांक 29.12.2023 को स्वीकृत किया जाकर अपीलांट्स बहैसियत खातेदार दर्ज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का हिस्सा वादी/ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम अंकन किए जाने के आदेश पारित किए गए है। जिससे अपीलांट्स के हक व अधिकार प्रभावित होते हैं। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सावर अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 456/2024 (2024/153) में पारित निर्णय दिनांक 03.01.2025 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उक्त वाद वर्णित आराजीयात में पुश्तैनी है मोडू पुत्र श्री रामा मीणा की मृत्यु हो चुकी है व उक्त वादवर्णित आराजीयात वादिया के पिता की पैतृक संपत्ति है जो कि वादीया के पिता मोडू पुत्र श्री रामा मीना की मृत्यु के पश्चात मृतक मोडू पुत्र रामा मीना की विरासत जरिए नामांतकरण संख्या 295 दिनांक 27. 01.1983 से उक्त संपूर्ण आराजी रामदयाल पुत्र मोडू मीणा के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन हुई थी। जबकि उक्त वादग्रस्त आराजीयात में 1/3 हिस्सा वादिया का है वादवर्णित आराजीयात की पुश्तैनी आराजीयात है वादिया प्रतिवादी संख्या 1 संख्या 2 की जाईन्दा बहन है तथा वादिया का स्वयं की पुश्तैनी भूमि पर उक्त आराजी पर 1/3 हिस्सा भूमि में पूर्ण हक अधिकार नियत है तथा वादिया स्वयं के हिस्से की पुश्तैनी आराजीयात पर विभाजन का वाद पेश करने का पूर्ण हक अधिकार नियत है। अतः वाद वर्णित

आराजीयात में वादिया का 1/3 हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर विधिवत बंटवारा करते हुए इंद्राज दुरूस्त किया जाना न्याय संगत है। वाद का मूल कारण वाद वर्णित आराजीयात वादिया की पुश्तैनी भूमि होने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व अधिकारियों से मिली भगत करके स्वयं के नामातरण खुलवा लिया है तथा प्रतिवादी संख्या 3 से मिली भगर कर वादिया व अप्रार्थी संख्या 2 की हक अधिकार की आराजीयात को अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में रहन रखकर ऋण प्राप्त कर लिया है उक्त वाद वर्णित आराजीयात हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादिया को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर वादिया का तथा प्रतिवादी संख्या 2 का नाम जमाबंदी में बतौर खातेदार अंकन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 89 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेंट संख्या 2 प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में एक्सपार्टी की जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार कर प्रकरण में दिनांक 03.01.2025 को निर्णय व डिक्री पारित की गई उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया जो कि दिनांक 09.02.2024 को अदम हाजरी अदम पैरवी में निरस्त किया जा चुका था, उक्त वाद को पुनः रेस्टोर किए जाने हेतु आवेदन दिनांक 26.07.2024 को प्रस्तुत किया गया व उक्त वाद पत्र को एकपक्षीय रूप से दिनांक 27.09.2024 को रेस्टोर कर पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादीगण हेतु नियत की गई व इसके पश्चात रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दिनांक 03.01.2025 को निर्णय व डिक्री पारित की गई।

अपीलांट्स जिनके द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 2 से वादग्रस्त खातेदारी की आराजीयात को जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25.02.2022 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है व उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरकरण संख्या 3591 दिनांक 29.12.2023 को अपीलांट्स के नाम स्वीकृत कर अपीलांट राजस्व अभिलेख में बहैसियत खातेदार दर्ज है। अपीलांट्स वर्तमान प्रकरण में आवश्यक हितबद्ध पक्षकार है जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। अपीलांट्स को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निर्णय पारित किए जाने से पूर्व समुचित साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ही प्रकरण में एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई है। विवादित आराजीयात को अपीलांट्स द्वारा दिनांक 25.02.2022 को जरिए पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर क्रय किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्णय व डिक्री दिनांक 03.01.2025 को पारित किया गया इससे स्पष्ट है कि निर्णय पारित किए जाने से पूर्व ही अपीलांट्स विवादित आराजीयात के बहैसियत खातेदार/काश्तकार दर्ज हो चुके थे बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स को वाद में पक्षकार ही संयोजित नहीं किया गया जिससे अपीलांट्स अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

अपने हक अधिकारों के प्रति चाराजोही करने व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने से वंचित रह गए। अपीलांट्स द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया, हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 01.05.2025 को प्रार्थना पत्र स्वीकर किया जाकर अपीलांट्स को वर्तमान प्रकरण में अपील प्रस्तुत किए जाने की अनुमति प्रदान की गई।

अधीनस्थ न्यायालय को वाद से संबंधित आवश्यक पक्षकार/अपीलांट्स को पक्षकार संयोजित करते हुए उनसे जवाब लेकर वाद पत्र में तनकीयात कायम कर प्रकरण का निस्तारण तनकीवार किया जाना चाहिए था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में तनकीयात कायम किए बिना साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किए पत्रावली में निर्णय वाद पत्र व मौखिक कथनों के अनुसार पारित कर रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय में इस बाबत कोई फाईण्डिंग नहीं दी गई कि वादग्रस्त आराजीयात जो कि मोडू पुत्र रामा की खातेदारी में दर्ज रही है व मोडू की मृत्यु उपरांत वादग्रस्त पैतृक आराजीयात में मीणा जाति की पुत्रियों को पुत्रों के समान हक अधिकार निहित है या नहीं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र प्रकरण को दावे में वर्णित कथनों के अनुसार ही निर्णित कर प्रकरण में निर्णय व डिक्री दिनांक 03.01.2025 पारित किया गया।

वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में स्वयं वादीया/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जा0दी0 दिनांक 04.07.2022 को अपीलांट के पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित किए जाने के उपरांत वास्ते स्थगन जारी किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 04.07.2022 को राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश पारित किए गए व रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर एकपक्षीय जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 04.07.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश दिनांक 22.12.2023 को पारित किए गए है। उक्त प्रक्रिया से यह स्पष्ट है कि वादीया/रेस्पोडेंट संख्या 1 को अपीलांट के पक्ष में हुए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25.02.2022 की जानकारी थी, परंतु उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को इस बाबत कोई जानकारी नहीं दी गई जिससे अपीलांट को वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस समय निर्णय एवं डिक्री पारित की गई तत्समय अपीलांट वादग्रस्त आराजीयात के बोनाफाईड परचेजर होकर राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज थे। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तत्समय का राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जो कि विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के आधार पर त्रुटिपूर्ण है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में विधिक त्रुटि कारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय व डिक्री निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः गुणावगुण पर निर्णित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. अतः **अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सावर अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 456/2024 (2024/153) में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.01.2025 को निरस्त**

किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह प्रकरण में दावे एवं जवाब दावे के आधार पर प्रथम तनकी इस आशय की निर्मित करे कि **मीणा जनजाति में पुत्रियों को पुश्तैनी आराजीयात में पुत्रों के समान हक अधिकार निहित है अथवा नहीं ? तथा पुत्रियों के आराजीयात बाबत कस्टम लॉ के आधार पर अधिकारी हैं या नहीं ?** इस पर साक्ष्य लेकर प्रथम तनकी का विस्तृत विवेचन करते हुए तय करे तथा प्रकरण से संबंधित अन्य तनकीयात भी अपने न्यायिक विवेक के अनुसार निर्मित कर तनकीयात पर साक्ष्य ग्रहण कर प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय व डिक्री पारित करे। **उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार सावर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।** उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.10.2025 को उपस्थित होने हेतु पांबद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 19.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर